न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 27/2021 दायर दिनॉक 06.12.2021

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. भंवर कंवर पत्नी श्री उम्मेद सिंह जाति राजपुत निवासी तोषीणा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम	1. कैलाशराम पुत्र श्री तोलाराम 2. कानाराम पुत्र श्री तोलाराम 3. मनोज पुत्र श्री तोलाराम 4. राधा देवी पत्नी श्री तोलाराम समस्त जाति गिवारिया (गींगवार) समस्त निवासीगण तोषीणा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील प्रार्थी।
2. श्री हरफुल राव वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 3

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 05.05.2025

संक्षेप में प्रार्थीया की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 120 रकबा 2.7600 हैक्टे0 मौजा तोषीणा में अवस्थित है जो की हमारी खातेदारी सुदा खेत है। उक्त खेत खसरा नम्बर 120 में वर्तमान में प्रार्थीया के खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु प्रार्थीया ने अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 81 में से नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

प्रकरण को उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक – रीडर/22/1713 दिनांक 17.08.2022 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति दर्ज किये जाने पर पुनः रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार छोटी खाटू से पुनः जरिये पत्रांक– राजस्व/2024/551 दिनांक 23.07.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार छोटी खाटू की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 120 में आवागमन हेतु कोई गै.मु. रास्ता नहीं लगता है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 81 पर मार्क ए से बी तक न[illegible] प्रस्तावित है। जिसकी लम्बाई 110 मीटर व चौडाई 5 मीटर का कुल क्षेत्रफल 550 वर्ग मीटर ([illegible]) है। तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट से न्यायालय सहमत है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार छोटी खाटू की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 120 में आवागमन हेतु तहसीलदार छोटी खाटू की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 551 दिनांक 23.07.2024 में दर्शित भूमि अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 81 पर मार्क ए से बी में प्रस्तावित रास्ता वाके सरहद तोषीणा में से रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार छोटी खाटू राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार छोटी खाटू की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 551 दिनांक 23.07.2024 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 05.05.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:54:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner